



दिनांक: 30.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाला
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपर्हता सुकशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2024 को वादिनी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त कुलदीप उर्फ छोटा पुत्र सुरेश निवासी ग्राम नन्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0- 52/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, अपर्हता की बरामदगी व वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ छोटा पुत्र सुरेश निवासी ग्राम नन्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को कस्बा गागलहेडी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गागलहेडी पुलिस द्वारा अपर्हता को सुकशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप उर्फ छोटा पुत्र सुरेश निवासी ग्राम नन्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनित यादव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. का0 12 टुकेश थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. म0का0 1630 कविता थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 30.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर एक शातिर अभियुक्त शिवकुमार पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को पशु पैठ ग्राम उनाली के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा मैं गाँव एवं आस पास को लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवकुमार पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 157/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0सं0 158/19 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना कुतुबशेर
3. मु0अ0सं0 115/22 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर
4. मु0अ0सं0 139/22 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 141/22 धारा 307/414 भादवि थाना सरसावा
6. मु0अ0सं0 252/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सरसावा

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को **वाद सं० 85/22 मु०अ०सं० 438/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर से सम्बन्धित **01 वारंटी अभियुक्त मसकूर पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी नदीम कालोनी मुजफ्फर मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

मसकूर पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी नदीम कालोनी मुजफ्फर मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 894 हरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में 01 वांछित
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित **अभियुक्त पोपिन पुत्र बाबूराम नि0ग्रा0 भाँकला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/24 धारा 363/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट में रेलवे स्टेशन देवबन्द के पास चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पोपिन पुत्र बाबूराम नि0 ग्रा0 भाँकला थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री मीरपाल तेवतिया थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
2. का0 2270 पूरन कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 72 प्रीती थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त इन्तजार पुत्र अकबर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 3788/19 धारा 4/25 आर्मस अधि0 थाना मिर्जापुर की चालानी में ग्राम मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता -

इन्तजार पुत्र अकबर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 638 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अमित पुत्र नेताराम निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 5549/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर की चालानी में ग्राम नांगल माफी से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता -

अमित पुत्र नेताराम निवासी ग्राम नांगल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह सोम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16/03/2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-115/24 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम दीपक के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त दीपक पुत्र सतीश नि0 खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम फलोदा से गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता को सकुशल बरामद करते हुए विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 5(L) /6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र सतीश नि0 खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 1830 सुभम कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामलों में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2012 को वादी श्री ईश्वर पाल पुत्र बलजीत सिंह नि० पूजना थाना तीतरों जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-बिटटू पुत्र करमपाल नि० भांकला थाना रामपुर मनिहारन व 2-सुशील पुत्र सत्यप्रकाश नि० कमलपुर थाना झिझाना शामली द्वारा वादी के मामा के लडके अरविन्द के साथ गाली गलौच कर गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु०अ०सं० 58/2012 धारा 302,504 भादवि, थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 534/2012 पर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्त बिटटू पुत्र करमपाल निवासी भांकला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को मु०अ०सं० 58/2012 धारा 302,504 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट-अभियुक्त सुशील को दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री राजवीर सिंह
विवेचक रिटायर्ड निरीक्षक श्री मुनीषचन्द्र शर्मा
पैरोकार हे०का० 121 अरविन्द कुमार थाना रामपुर सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा -

अवगत कराना है कि दिनांक 06.11.2011 को वादी श्री अशोक पुत्र भोपाल सिंह निवासी गोविन्दपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री को अभियुक्तगण 1. रणजीत पुत्र मामचन्द व 2. जयकुमार पुत्र रणजीत निवासीगण गोविन्दपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने तथा गाली गलौच करने की सूचना पर मु0अ0सं0- 389/2011 धारा 366,376,342,504, 506 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 279/2013 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्त जयकुमार पुत्र रणजीत निवासी गोविन्दपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0 389/2011 धारा 366,376,342 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट - अभियुक्त रणजीत पुत्र मामचन्द निवासी गोविन्दपुर को दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी

विवेचक उ0नि0 एस0के0 शर्मा

पैरोकार का0 104 सलमान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा

अवगत कराना है, कि दिनांक 03.01.2013 को वादी श्री नैनपाल पुत्र कर्मसिंह नि0 साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के भाई जनक सिंह को अभियुक्तगण 1-विकास पुत्र वीर सिंह नि0 अबाबाकरपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2-रितेश पुत्र उसमसिंह नि0 साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 04/2013 धारा 302,34 भादवि, थाना नकुड पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 729/2013 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्त 1-विकास पुत्र वीर सिंह निवासी अबाबाकरपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0 04/2013 धारा 302,34 भादवि, का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट – अभियुक्त रितेश की फाईल किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी
विवेचक निरीक्षक रिटा0 श्री ब्रजपाल सिंह
पैरोकार हे0का0 276 मैनीपाल थाना नकुड सहारनपुर।



दिनांक: 30.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 03 वांछित

अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.3.2024 को वादिया श्रीमती सीमा पत्नी स्व० चन्द्रकेतु नि० प्रकाश लोक कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1. वाशु राणा पुत्र राजकुमार उर्फ राजू निवासी नौशारा पनवा चौधरी वाला थाना चौधरी वाला जिला तरणतारन पंजाब 2. सन्नी पुत्र जगमोह निवासी अंकित विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर 3. राजू उर्फ राजीव निवासी अंकित विहार कालोनी गली न० 3 थाना सदर बाजार द्वारा वादिया के पुत्र पीयूष को दिनांक 25.3.2024 को जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मारने करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 186/24 धारा 307/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 वांछित अभियुक्तगण 1. वाशु राणा पुत्र राजकुमार उर्फ राजू निवासी नौशारा पनवा चौधरी वाला थाना चौधरी वाला जिला तरणतारन (पंजाब), 2. सन्नी पुत्र जगमोह निवासी अंकित विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को उनके घर से व 3. राजू उर्फ राजीव पुत्र संतोष कुमार शर्मा निवासी अंकित विहार कालोनी गली न० 3 थाना सदर बाजार सहारनपुर को उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सन्नी उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं, वजीर विहार कालोनी की गली के पास आईटीसी रोड पर बीयर की दुकान में सैल्समैन हूँ। दिनांक 25.03.2024 को होली के दिन मैं व मेरा भांजा वाशु बीयर की दुकान पर ही थे। हमने होली पर ड्राई डे होने के कारण 4.00 बजे शाम को ठेका खोला था। तभी करीब 4.30 बजे शाम को प्रकाशलोक कालोनी का पीयूष यादव व उसके 03 अन्य साथी शराब लेने के लिए आये। ठेके से शराब खरीदने के दौरान सैल्समैन राजू उर्फ राजीव शर्मा व पीयूष यादव व उसके 03 अन्य साथियों की किसी बात को लेकर बहस करने लगे। हम तीनों मैं, वासु और 01 अन्य साथी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तभी मैंने अपने साथी से कहा कि अभी इनका इलाज कर देते हैं। हमारा 01 अन्य साथी बीयर की दुकान से चाकू लेकर आया और फिर मैंने, राजू व वासु ने पीयूष के साथ मारपीट व गाली गलौच करते हुए उसे पकड़ लिया और हमारे साथी ने चाकू से पीयूष को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मार दिया जिससे पीयूष घायल होकर नीचे गिर गया और हम सब वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. वाशु राणा पुत्र राजकुमार उर्फ राजू निवासी नौशारा पनवा चौधरी वाला थाना चौधरी वाला जिला तरणतारन पंजाब ।
2. सन्नी पुत्र जगमोह निवासी अंकित विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. राजू उर्फ राजीव पुत्र संतोष कुमार शर्मा निवासी अंकित विहार कालोनी गली न0 3 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 30.03.2024 -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मात्र घण्टे 12 में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी , गया सामान , मंगलसूत्र) टाप्स बरामद (वाच स्मार्ट 02 जोड़ी पाजेब व 01 ,

अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2024 को वादी श्री सुभाषचन्द पुत्र ज्योतिराम निग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर 0 जनपद सहारनपुरने एक प्रा पत्र हिन्दी 0 लिखित बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से मंगलसूत्र सोने का , टाप्स एक जोड़ी , पायल व दो स्मार्ट वाँचग्राम मिर्जापुर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मुभादवि बनाम अज्ञात 380 धारा 24/60 0सं0अ0** पंजीकृत किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने हेतु सम्बन्धित को अभियान चलाकर घटना का सफल अनावरण करने हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त मिजान पुत्र अहसान निवासी ग्राम मौगाडान कस्बा 0 बेहट थाना बेहट जिला सहारनपुर** को सहारनपुर-विकासनगर हाईवे पर स्थित दवाई फैक्ट्री के सामने से खुशहालपुर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया सामान 01) टाप्स कान पीली धातू 01 , मंगलसूत्र पीली धातू 01 , जोड़ी पायल सफेद धातू व (स्मार्ट वाच 02 बरामद हुआ। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से 411 माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त मिजान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ और नशे का आदी हूँ। मैंने यह सामान ग्राम मिर्जापुर से चोरी किया था जिसे मैं आज बेचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ,

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

मिजान पुत्र अहसान निवासी ग्राम मौ गाडान कस्बा बेहट 0 थाना बेहट जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मुभादवि थाना बेहट सहारनपुर 411/380 धारा 21/231 0सं0अ0।
2. मु आर्मस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर 25/4 धारा 22/387 0सं0अ0।

बरामद माल-

- टाप्स कान पीली धातू 01
- मंगलसूत्र पीली धातू 01
- जोड़ी पायल सफेद धातू 01
- स्मार्ट वाच 02

पुलिस पार्टी -

1. उमिर्जापुर जिला सहारनपुर भुपेश शर्मा थाना 0नि0
2. उजसपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर 0नि0
3. हेकागौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 32 0



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारन्टी अभि० गिरफ्तार, कब्जे से
24 पच्चे(फ्रुटी) देशी शराब गोल्डन स्ट्रांग वेव उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबीर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक वारन्टी अभियुक्त ओमबीर पुत्र बनवारी निवासी ग्राम नागल माफी, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर (माननीय न्यायालय श्रीमान जे०एम० द्वितीय महोदय द्वारा वाद संख्या 3329/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम) को ग्राम नागल माफी गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 24 पच्चे(फ्रुटी) देशी शराब गोल्डन स्ट्रांग वेव उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 61/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त में बताया कि साहब मैं यह शराब सहारनपुर के ठेके से खरीदकर अपने गाव व आस पास क्षेत्र में 10-20 रुपये के फायदे से बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ओमबीर पुत्र बनवारी निवासी ग्राम नागल माफी, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर।।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 236/16 धारा 60/72 आबकारी अधि० व 420 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 45/19 धारा 60 आबकारी अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 183/19 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. मु०अ०सं० 289/22 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 100/23 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

24 पच्चे(फ्रुटी) देशी शराब गोल्डन स्ट्रांग वेव उत्तर प्रदेश मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है०का०१९५८ धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का० 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01

नाजायज चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध अस्त्रहों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30/03/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **जाहिद पुत्र अबुल हसन निवासी ख्वाजा अहमद सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को नाला पटरी की ओर जाने वाले रास्ते पर लकड़ी की टाल के बराबर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 67/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त जाहिद उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, तथा यह चाकू मैं लोगो को डराने व रोब झाडने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जाहिद पुत्र अबुल हसन निवासी ख्वाजा अहमद सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 36/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 234/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 240/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 455/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त **जाहिद** उपरोक्त के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दीपक थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. कां0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30/03/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **नौबहार पुत्र गुलजार निवासी खान आलमपुरा जनकनगर थाना जनकपुरी** को वाल्मिकी मन्दिर से पहले पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 22 बोतल माल्टा 375 ml देशी शराब मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 68/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नौबहार उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं यह शराब हरियाणा से सस्ते दाम में खरीदकर, अपने मोहल्ले व आस पास क्षेत्र में महगें दामो में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नौबहार पुत्र गुलजार निवासी खान आलमपुरा जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0- 28/21 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी सहारनपुर।
- मु0अ0सं0- 68/21 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

22 बोतल माल्टा 375 ml देशी शराब मसालेदार हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. कां0 2333 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 30.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से
01 नाजायज चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध अस्लहों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30/03/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त रिम्पी उर्फ अजय पुत्र कश्मीरा निवासी गढी मलूक न0 1 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को अम्बेडकर पार्क के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर मु0अ0सं0 66/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रिम्पी उर्फ अजय उपरोक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ, तथा उसकी पूर्ती के लिये मैं छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। यह चाकू मैं लोगो को डराने व अपने दोस्तों में रोब झाडने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिम्पी उर्फ अजय पुत्र कश्मीरा निवासी गढी मलूक न0 1 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 55/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 99/22 धारा 307/34 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 100/22 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 104/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 295/17 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0- 757/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 चाकू नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 122संजय सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल देशी शराब (माल्टा हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब व नशीले पदार्थों के कारोबार की रोकथाम व इसमें सलिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **मुकीम पुत्र मुर्सलीन उर्फ मोच्ची निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ईदगाह के पास सडक दूधली से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **10 बोतल देशी शराब (माल्टा हरियाणा मार्का)** बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर **मु0अ0सं0 59/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया की साहब मैं कम पढा लिखा हूँ तथा मैं हरियाणा राज्य से शराब खरीदकर आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुकीम पुत्र मुर्सलीन उर्फ मोच्ची निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

10 बोतल देशी शराब (माल्टा हरियाणा मार्का)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 117/15 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुरा
- 2- मु0अ0सं0 30/17 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुरा
- 3- मु0अ0सं0 291/23 धार 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुरा

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पीयूष कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 113 विकास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 30-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट शातिर अभियुक्त 01 पुलिस द्वारा ,गिरफ्तार चाकू नाजायज 01 कब्जे से ,बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ,के निर्देशन मे आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के 2024 दृष्टिगत अपराधअवैध शस्त्रो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03. को 2024मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान शातिर 01 अभियुक्त मशरूर उर्फ सचिन पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला इन्द्रा कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर को सीएचसी के पास मुर्तजापुर रोड से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेहट पर मु0स0अ0-114/-धारा 20244/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मशरूर उर्फ सचिन ने बताया कि मैं यह चाकू अपने गांव के लोगो को डराने धमकाने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मशरूर उर्फ सचिन पुत्र नूरहसन निवासी मौ इन्द्रा कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर 0।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -:

1. मु496 0सं0अ0/398 धारा 21/401/भादवि थाना बेहट सहारनपुर। 307
2. मु498 0सं0अ0/4 धारा 21/आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर। 25

बरामदगी का विवरण:-

1. एक चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
- 2.उ श्री सतीश रौसा 0नि0थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट 695 0का0जनपद सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 30.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा वाद सं० 1422/19 मु०अ०सं० 39/17 धारा 379/506 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तगण 1. अमजद पुत्र नूरहसन 2. असजद पुत्र नूरहसन निवासी गण ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. अमजद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. असजद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. उ० नि० श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. उ० नि० राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त दानिश पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट सहारनपुर** को रीढी मोहिद्दीनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 08 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-112/2024 धारा -8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट सहारनपुर ।

बरामदगी-

➤ 08 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1924 प्रताप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1850 मन्जीत सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-03-2024

-प्रेस नोट -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू
नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त अहसान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम शाहपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर को ग्राम शाहबुद्दीनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-113/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अहसान ने बताया कि जो चाकू पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं अपने पास लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम शाहपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी -

➤ 01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 296/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 588/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

8.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त करमपाल पुत्र बलबीर निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट सहारनपुर को ग्राम दबकौरा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 8.20 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-115/2024 धारा -8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

करमपाल पुत्र बलबीर निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट सहारनपुर ।

बरामदगी-

➤ 8.20 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर